उत्तर प्रदेश शासन
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग–2

संख्या–क0नि0–2–1271/ग्यारह–9(80)/2014–उ0प्र0अधि0–5–2008–आदेश–(119)–2014
दिनांकः 26 सितम्बर, 2014

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश मूल्य सवंर्धित कर अधिनियम, 2008 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5, सन् 2008) की धारा 7 के खण्ड (ग) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल निदेश देते हैं कि दिनांक 27 सितम्बर, 2014 से "लोहिया ग्रामीण आवास योजना" के अन्तर्गत उपयोग हेतु आपूर्त अथवा संकर्म संविदा के निष्पादन में प्रयुक्त सोलर पावर पैक, एल0ई0डी0 लाइट्स एवं डी0सी0 सीलिंग फैन के विक्रय के आवर्त पर किसी कर का उद्ग्रहण एवं भुगतान नहीं किया जायेगा।

आज्ञा से,

(बीरेश कुमार)
प्रमुख सचिव।